



# INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

## सामाजिक न्याय का बदलता स्वरूप

Dr. S. K.YADAV

**सारांश:-** “आधुनिक समय में न्याय शब्द की व्यापक अर्थों में सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय के रूप में सम्मिलित किया जाता है। सामाजिक न्याय का संबंध व्यक्ति के अधिकारों तथा सामाजिक नियन्त्रण के मध्य सन्तुलन स्थापित करने से है। सामाजिक न्याय का आदर्श एक न्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित तथा विकसित करके जनसमुदाय के कल्याण की परिकल्पना करना है। जनसमुदाय समानता और स्वतन्त्रता को सुनिश्चित करने के साथ एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था स्थापित करने के लिये प्रोत्साहित करता है जिसके अन्तर्गत सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की समस्याओं में अनुप्रणित हुआ। इसी सन्दर्भ में मोदी सरकार के द्वारा अपनी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से समाज में सबका साथ सबका विकास के साथ सामाजिक न्याय स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है।”

आधुनिक समय में न्याय सम्बन्धी धारणा में एक अमूल चूल परिवर्तन हो गया है। ओर आज न्याय की वही स्थिति होती है जो विधि द्वारा निहित हो और इसका स्वाभाविक परिणाम यही हुआ कि न्याय का परम्परागत रूप अब अमान्य हो गया और इसका स्वरूप देशकाल के अनुसार परिवर्तनशील माना जाने लगा है।

आधुनिक समय में न्याय शब्द की व्यापक अर्थों में सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय के रूप में सम्मिलित किया जाता है। सामाजिक न्याय का संबंध व्यक्ति के अधिकारों तथा सामाजिक नियन्त्रण के मध्य सन्तुलन स्थापित करने से है। सामाजिक न्याय का अभिप्राय मनुष्य- मनुष्य के बीच सामाजिक स्थिति के आधार पर किसी भी प्रकार का अन्तर नहीं किया जाये। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी शक्तियों के समुचित विकास के समान अवसर उपलब्ध हो किसी भी व्यक्ति का किसी भी रूप में शोषण न किया जाये और समाज के प्रत्येक व्यक्ति के जीवन की मूलभूत आवश्यकतायें पूरी हो तथा आर्थिक सत्ता चन्द्र हाथों में केन्द्रित न हो और समाज का कमजोर वर्ग अपने को असहाय महसूस न समझे।

सामाजिक न्याय का आदर्श एक न्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित तथा विकसित करके जनसमुदाय के कल्याण की परिकल्पना करना है। जनसमुदाय समानता और स्वतन्त्रता को सुनिश्चित करने के साथ एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था स्थापित करने के लिये प्रोत्साहित करता है जिसके अन्तर्गत सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की समस्याओं में अनुप्रणित हो।

सामाजिक न्याय के सिद्धान्त को परिभाषित करना सरल नहीं है। भारतीय सोपानात्मक वर्ण व्यवस्था में आरक्षण के माध्यम से दलितों और पिछड़े वर्गों को सामाजिक न्याय प्रदान करने की प्रतिबद्धता तथा राजनीतिक सन्तुलन की विवशता एक महत्वपूर्ण समस्या बन गई जिसने समाज को जोड़ने की अपेक्षा बाटने का काम किया। आरक्षण से समस्या घटी नहीं अपितु बढ़ी है। जिसका प्रमुख कारण राजनीतिक सूझ-बुझ की कमी, जन भावना का आभाव, प्रतिबद्धता की कमी, आर्थिक लाभों की ललक, मिथ्या सर्वोपरिवक्ता की निहित पोषक प्रवृत्ति कथनी और करनी में बढ़ी खाई पैदा की।

स्वामी दयानन्द सरस्वती द्वारा स्थापित आर्य समाज 1875 ने भी जात पात का जमकर विरोध किया। डॉ अम्बेडकर के नेतृत्व में दलितों के उद्धार का आन्दोलन चला। इस आन्दोलन का उद्देश्य दलित जातियों की दयनीय आर्थिक स्थिति को सुधारना, उन्हें शिक्षित करना, संगठित करना और उनके लिये विशेष राजनीतिक प्रतिनिधित्व का अधिकार हासिल करना और उन्हें इस आन्दोलन में सफलता भी मिली। परिणामस्वरूप समाज के दलित वर्ग संगठित होकर समानता के लिये लड़ने लगे।

भारत में स्वतन्त्र आन्दोलन के दौरान यह अनुभव किया कि केवल वैयक्तिक स्वतन्त्रता तथा कानून के सन्मुख समानता से ही दलितों एवं पिछड़ी जातियों के लोगों को आर्थिक एवं राजनैतिक न्याय प्राप्त नहीं हो सकता। महात्मा गाँधी और अम्बेडकर जैसे हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लोगों की समस्याओं को उजागर किया और स्वतन्त्रता आन्दोलन के समय से ही इन लोगों ने सामाजिक न्याय के लिये प्रयास किये।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों व पिछड़े वर्गों में हमेशा से सामाजिक असमर्थताओं और आर्थिक असुविधाओं से उत्पीड़ित रही है। हमारे संविधान के निर्माताओं ने आरक्षण की नीति के माध्यम से उन्हें शासन में उनका न्यायोचित हिस्सा देकर शोषण के खिलाफ सुरक्षा की व्यवस्था करके और उनके सामाजिक आर्थिक विकास को तेज करने के लिये ज्यादा और विशिष्ट आवंटन करके उन्हें राष्ट्र की मुख्य धारा में सम्मिलित होने के योग्य बनाने के लिये संविधान में विशेष प्रावधान किये।

अमरीकी दार्शनिक **जॉन रॉल्स** ने अपनी पुस्तक **"थ्योरी ऑफ जस्टिस"** में कहा है कि :-

- 1- प्रत्येक व्यक्ति के पास अत्यधिक व्यापक स्वतन्त्रता का समान अधिकार होना चाहिये जो दूसरों को उसी तरह की स्वतन्त्रता के विरुद्ध न हो।
- 2- सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को व्यवस्थित किया जाना चाहिये।

इस तरह जॉन रॉल्स ने अपने विचारों से आगे बढ़ते हुये स्पष्ट कहा है कि जब सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को व्यवस्थित किया जाये तो उन लोगों को पहले सुविधा दी जानी चाहिये।

कार्ल मार्क्स ने राज्य को शोषण का एक उपकरण माना। उसने असमानता के इस उपकरण को उखाड़ फेंकने की बात कही थी।

18वीं शताब्दी के प्रारम्भ में लॉक और रूसो जैसे उदारवादियों दार्शनिकों और समाज शास्त्रियों ने असमानता व शोषण पर ध्यान दिया और मानव-मानव की समानता के सिद्धान्त पर आधारित समाज की स्थापना के लिये मार्गदर्शन दिया। जिसका परिणाम रूसो की राजनैतिक विचारधारा ने 1781 की फ्रांसीसी आन्दोलन के रूप में अभिव्यक्ति हुई जबकि मार्क्स के विचारों के कारण 1917 में रूसी क्रान्ति और 1949 में चीनी क्रान्ति हुई और 1848 में साम्यवादी घोषणा पत्र ने विश्व के राजनैतिक मंच व सामाजिक जगत में एक बड़ा भारी अमूल चूल परिवर्तन कर दिया।

भारत के सामाजिक न्याय की स्थापना का जो लक्ष्य स्वाधीनता आन्दोलन के दौरान निर्धारित किया गया और उन्हें ध्यान में रखते हुये संविधान सभा में संविधान की रचना की। और संविधान निर्माताओं ने संविधान के माध्यम से सामाजिक न्याय पर आधारित भावी समाज की कल्पना की और उन्हें पूर्ण रूप देने के लिये संविधान में आवश्यक उपबन्ध और प्रावधान किया और भारतीय स्वतन्त्रता सेनानानियों ने जिस सामाजिक न्याय की कल्पना की थी उसको भारतीय संविधान के अन्तर्गत साकार करना चाहते थे। क्योंकि कानून ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा सामाजिक क्रान्ति संभव है। सामाजिक न्याय पर आधारित समाज की स्थापना के लक्ष्य को उस प्रस्ताव द्वारा स्वीकार किया जिसके शिल्पकार पंडित जवाहर लाल नेहरू थे।

भारत इस समय सामाजिक न्याय की एक जटिल प्रक्रिया से गुजर रहा है जिसकी कीमत चुकानी होगी सदियों से वंचित शोषित रहे लोगों को देश मुख्य धारा ओर हाशिय पर रहे लोगों को देश मुख्य धारा में लाने का उत्तरदायित्व भी राष्ट्र के नागरिकों को ही निभाना है। क्योंकि सामाजिक न्याय की संकल्पना बहुत व्यापक है जिसके अन्तर्गत 'सामान्य हित' के मानक से सम्बन्धित सब कुछ समाहित हो जाता है जो अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा से लेकर निर्धनता और निरक्षरता के उन्मूलन सभी पहलुओं को इंगित करता है।

यह न केवल कानून के समझ समानता के सिद्धान्त का पालन करने और न्यायपालिका की स्वतन्त्रता से सम्बन्धित है, जैसा हम पश्चिमी देशों में देखते हैं बल्कि इसका सम्बन्ध उन कुत्सित सामाजिक कुरीतियों जैसे द्रिदरता, बीमारी, बेकारी और भुखमरी आदि के दूर करने से भी है जिसका तीसरी दुनिया के विकासशील देशों पर गहरी चोट पड़ी है।

इसके साथ ही इसका सम्बन्ध उन निहित स्वार्थों को समाप्त करने से है जो लोकहित को सिद्ध करने के मार्ग में ओर यथास्थिति बनाये रखने के पक्ष में है। इस दृष्टिकोण से दुनिया के पिछड़े ओर विकासशील देशों में सामाजिक न्याय का आर्दश राज्य के लिये आवश्यक बना देता है कि वह समाज के पिछड़े और कमजोर वर्गों की हालत सुधारने के लिये ईमानदारी से प्रयास करे।

इसी सन्दर्भ में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने महत्वपूर्ण कार्य किया जैसे गरीबों के लिये उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्रीमान धन योजना, आयुष्मान भारत योजना, जनधन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं को अमली जामा पहनाया है।

जिसमें नागरिक, नागरिक के बीच सामाजिक स्थिति के आधार पर किसी प्रकार का भेद न किया जाये और प्रत्येक व्यक्तियों के विकास का समुचित पूर्ण अवसर उपलब्ध हो। सामाजिक न्याय की धारणा में यही निष्कर्ष निहित है कि व्यक्ति का किसी भी रूप में शोषण न हो ओर उसके व्यक्तित्व को पवित्र सामाजिक न्याय की प्राप्ति का साधन मात्र न माना जाये। अपितु सामाजिक न्याय की व्यवस्था में स्वस्थ और सुसंस्कृत जीवन के लिये आवश्यक परिस्थितियों का भाव निहित है और इस सन्दर्भ में समाज की राजनीतिक सत्ता से अपेक्षा की जाती है कि वह अपने कार्यकारी कार्यक्रमों द्वारा क्षमतायुक्त समाज की स्थापना करे।

आज सरमाजिक न्याय की मांग है कि समाज सुविधाहीन वर्गों को अपनी सामाजिक आर्थिक असमानताओं पर काबू पाने और अपने जीवन स्तर में सुधार करने के योग्य बनाया जाये, जिससे समाज के गरीबी के स्तर से नीचे के सर्वाधिक सुविधाओं से वंचित वर्गों विशेष रूप से निर्धनों के बच्चों, महिलाओं सशक्त व्यक्तियों की सहायता की जाये और इस प्रकार शोषणहीन समाज की स्थापना की जाये। क्योंकि बिना कमजोर वर्गों को ऊँचा उठाये बिना तथा निम्न वर्गों

ओर पिछड़े वर्गों का विकास किये बिना सामाजिक न्याय की स्थापना नहीं हो सकती। प्रत्येक व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकतायें पूरी हो ओर आर्थिक सत्ता चन्द हाथों में केन्द्रित न हो तथा कमजोर वर्ग अपने को असहाय महसूस न करे।

क्योंकि सामाजिक न्याय की अवधारणा ने आधुनिक युग के लोगों में जागृति उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका उत्पन्न की। भारत में महात्मा गाँधी और डॉ भीमराव अम्बेडकर के विचारों ने सामाजिक न्याय की माँग पर जोर दिया और राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी ने आजीवन सामाजिक न्याय की स्थापना के लिये संघर्ष करते रहे। और पूर्व प्रधानमंत्री नहेरु का मानवतावाद सामाजिक न्याय के विचार के ओत प्रोत या उनका समाजवादी दर्शन सामाजिक आर्थिक न्याय का ही प्रतिबिम्ब था उनका मानना था कि सामाजिक न्याय के लिये आर्थिक शक्ति का केन्द्रीकरण न हो ओर विकास कार्यो का लाभ समाज के सभी तबके के लोगो को मिले। वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी इन सब के लिये दृढ़ संकल्प बद्ध है।

सन्दर्भ:-

1. अम्बेडकर, बी. आर. – 'जाति भेद उच्छेद'
2. प्रसाद, अनिरुद्ध, – 'आरक्षण: सामाजिक-पाप एवं राजनीतिक सन्तुलन'
3. कश्यप सुभाष – संविधान की आत्मा
4. सिधंवी, लक्ष्मीमल – भारतीय संविधान नई चुनौतियाँ नये उत्तर
5. श्याम नन्द सिंह – रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज
6. सिंह डॉ रामगोपाल – 'सामाजिक न्याय एवं दलित संघर्ष'
7. भारत सरकार वार्षिक रिपोर्ट – सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, नई दिल्ली

